न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– /16–17 निगरानी

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/1947

श्री आलोक शास्त्री अभि. द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत 21-6-17

1. नाथूराम पिता भागीरथजी, जाति–पाटीदार, आयु–65 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,
2. प्रकाश पिता नाथूराम जाति–पाटीदार, आयु–35 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,
3. राकेश पिता नाथूराम जाति–पाटीदार, आयु–32 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,

निवासीगण–ग्राम डाबड़िया तहसील आलोट, जिला रतलाम ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. भैरूलाल पिता रामचन्द्र, जाति–पाटीदार, आयु–34 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,
2. मोहनलाल पिता रामचन्द्र, जाति–पाटीदार, आयु–52 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,

निवासीगण–ग्राम डाबड़िया तहसील आलोट, जिला रतलाम ....प्रतिप्रार्थीगण

विषय :– <u>न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील आलोट, जिला रतलाम के प्रकरण क्र. 01/अ–13/16–17 मे पारित आदेश दिनांकित 28–03–2017 के पुनरिक्षण हेतु निगरानी धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत.</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी पीबीआर / निगरानी / रतलाम / भू.रा. / 2017 / 1947 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 28.3.2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर, अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, फलस्वरूप निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	